



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1981]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937

No. 1981]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

**का.आ. 2526(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 69 और 182 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
"69	20	बख्तियारपुर के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बिहार राज्य में बिहार शरीफ, नवादा, राजौली, झारखंड राज्य में कोडरमा, बरही, हजारीबाग, रांची, खूंटी, मुरहू, चक्रधरपुर, चाइबासा और जयंतगढ़, ओडिशा राज्य में परसोरा, केंदुझारगढ़, पानीखोली, कौखिया, जाजपुर, अरादी, चांदबली, राज कनिका को जोड़ते हुए और सतभाया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

182	55	संबलपुर के निकट रारा-53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर ओडिशा राज्य में रेधाखोल, अंगुल, बनारपाल, धेनकनाल, कटक, जगतसिंहपुर, बालीकुडा को जोड़ते हुए और नौगांव पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।”
-----	----	---

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-16)]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1031 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2015

**S.O. 2526(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial numbers 69 and 182 and entries relating thereto, the following corresponding entries shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
“69	20	The highway starting from its junction with NH-31 near Bakhtiyarpur connecting Bihar Sharif, Nawada, Rajauli in the State of Bihar, Kodarma, Barhi, Hazaribag, Ranchi, Khunti, Murhu, Chakradharpur, Chaibasa and Jaintgarh in the State of Jharkhand, Parsora, Kendujhargarh, Panikholi, Kuakhia, Jajpur, Aradi, Chandbali, Raj Kanika and terminating at Satabhaya in the State of Odisha.
182	55	The highway starting from its junction with NH-53 near Sambalpur connecting Redhakhol, Angul, Banarpal, Dhenkanal, Cuttack, Jagatsinghpur, Balikuda and terminating at Naugaon in the State of Odisha.”

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-16)]

V. KRISHNASWAMY, Director

**Footnote:-**The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031 (E), dated 17<sup>th</sup> April, 2015.